

## अधिसूचना

हैदराबाद, 1 जुलाई, 2010

## बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विज्ञापन तथा प्रकटीकरण) विनियम, 2010

फा. सं. बी.वि.वि.प्रा./3/53/2010.— प्राधिकरण, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (41 का 1999) की धारा 14 तथा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा बीमा सलाहकार समिति से विचार विमर्श करते प्राधिकरण निम्नलिखित विनियम बनाता है, जिससे बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विज्ञापन तथा प्रकटीकरण) विनियम में संशोधन होता है अर्थात् :-

1. (i) इन विनियमों को बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विज्ञापन तथा प्रकटीकरण) (संशोधन) विनियम 2010 कहा जायेगा।  
(ii) ये अधिकारिक राजपत्र के प्रकाशन की दिनांक से प्रवृत्त होंगे।
2. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विज्ञापन तथा प्रकटीकरण) विनियम 2000 में,  
(i) विनियम 2 की उपधारा (2) को मिटाया जा रहा है।  
(ii) विनियम 10 की धारा (vi) के उप-विनियम (1) के द्वितीय प्रावधान को मिटाया जा रहा है।

जे. हरि नारायण, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/161/10/असा.]

## NOTIFICATION

Hyderabad, the 1st July, 2010

## Insurance Regulatory and Development Authority (Insurance Advertisements and Disclosure) (Amendment) Regulations, 2010

**F. No. IRDA/Reg/3/53/2010.**— In exercise of the powers conferred by sections 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations to further amend the Insurance Regulatory and Development Authority (Insurance Advertisements and Disclosure) Regulations, 2000, namely:-

- 1 (i) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority (Insurance Advertisements and Disclosure) (Amendment) Regulations, 2010.  
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2 In the Insurance Regulatory and Development Authority (Insurance Advertisements and Disclosure) Regulations, 2000,  
(i) Sub-regulation (c) of regulation 2 shall be omitted.  
(ii) The second proviso to clause (vi) to sub-regulation (1) of regulation 10 shall be omitted.

J. HARI NARAYAN, Chairman

[ADVT. III/4/161/10/Exty.]

## Footnote:

(1) The Insurance Regulatory and Development Authority (Insurance Advertisements and Disclosure) Regulations, 2000, the Principal Regulations were published in the Gazette of India on 19<sup>th</sup> July, 2000 vide F. No. IRDA/Reg/07/2000